उत्तराखण्ड विधान सभा

# उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

## बुधवार, 23 फाल्गुन, शक संवत्, 1928

( दिनांक : 14 मार्च, 2007 )

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्न (देखिए नत्थी **"क"**)।

2. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958) (प्रथम संशोधन), अध्यादेश, 2006 को सदन के पटल पर रखेंगे।

3. सचिव, विधान सभा घोषित करेंगे कि :-

(1) उत्तरांचल विनियोग (2006-2007 का अनुपूरक) विधेयक, 2006 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 12 अक्टूबर, 2006 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 15 अक्टूबर, 2006 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2006 का ग्यारहवां अधिनियम बन गया।

(2) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2006 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 12 अक्टूबर, 2006 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 15 अक्टूबर, 2006 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2006 का बारहवां अधिनियम बन गया।

(3) उत्तरांचल पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2006 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 12 अक्टूबर, 2006 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 15 अक्टूबर, 2006 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2006 का तेरहवां अधिनियम बन गया।

(4) उत्तरांचल अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) विधेयक, 2006 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 12 अक्टूबर, 2006 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 26 अक्टूबर, 2006 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2006 का चौदहवां अधिनियम बन गया।

4. मुख्यमंत्री निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगेः-

"यह सदन मंत्रि-परिषद् में विश्वास व्यक्त करता है।"

5. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

6. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

7. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

8. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

9. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

10. डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक" निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :-

''यह सदन श्री राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 13 मार्च, 2007 को दिए गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है''

श्री विशन सिंह चुफाल उक्त प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।
(प्रस्ताव में संशोधनों के लिए देखिए नत्थी **"ख"**)

11. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

आज्ञा से,

(महेश चन्द्र)
सचिव।

**देहरादून :**
**दिनांक : 14 मार्च, 2007**

उत्तराखण्ड विधान सभा

# उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

## बुधवार, 23 फाल्गुन, शक संवत्, 1928

( दिनांक : 14 मार्च, 2007 )

## नत्थी "क"

## तारांकित प्रश्न

काजी निजामुद्दीन
09–03–2007

1. क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों से शिक्षण से भिन्न अन्य विभागों का कार्य भी लिया जाता है? यदि हाँ, तो क्या सरकार प्राथमिक शिक्षा के स्तर को बढ़ाये जाने को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षकों को उपरोक्त कार्यो से मुक्त करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

द्वितीय बुधवार तक स्थगित

उत्तराखण्ड विधान सभा

# नत्थी "ख"

## श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन।

| क्रं.सं. | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|---|
| 1. | डा0 हरक सिंह रावत,<br>नेता प्रतिपक्ष | प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-<br>"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-<br>1. कुम्भ मेले का उल्लेख,<br>2. जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटीज ऑफ रूरल मैनेजमेंट का उल्लेख,<br>3. छठे वेतन आयोग का गठन किये जाने,<br>4. राज्य में कार्यरत दैनिक तथा वर्क चार्ज कर्मचारियों के विनियमितिकरण किये जाने,<br>5. जनपद चमोली के अन्तर्गत गैरसैंण में सीमान्त विकास प्राधिकरण के गठन किये जाने,<br>6. राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में राजस्व पुलिस का गठन किये जाने,<br>7. राज्य में प्रशासनिक सुधार आयोग की संस्तुतियों पर विचार किये जाने,<br>8. कर्मचारी समन्वय परिषद् का गठन किये जाने,<br>9. राज्य में विधान परिषद् का गठन किये जाने,<br>10. प्रदेश में किसानों एवं गरीब जनता के लिए प्राकृतिक आपदा बीमा योजना प्रारम्भ किये जाने,<br>11. प्रदेश के सभी ग्रामों को वर्ष 2008 तक पेयजल उपलब्ध कराये जाने तथा<br>12. राज्य में बेरोजगारी दूर करने के संबंध में।" |

2. काजी निजामुद्दीन

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. प्रदेश में सरकारी नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त स्थानों को भरे जाने,
2. राज्य के सभी अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने,
3. राज्य में अल्पसंख्यकों को रोजगार परक शिक्षा प्रदान करने,
4. राज्य में उर्दू एकेडमी की स्थापना किये जाने,
5. राज्य में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों का पुनः सर्वे करवाकर सभी पात्रों को बी0पी0एल0 कार्ड सुनिश्चित कराये जाने,
6. राज्य में सभी गरीब विधवाओं, वृद्धों एवं विकलांगों को पेन्शन दिये जाने,
7. राज्य के किसानों को बीज, जैविक खाद और कम नुकसान पहुँचाने वाली कीटनाशक सस्ते दामों पर उपलब्ध कराये जाने,
8. राज्य के गन्ना क्षेत्र को मिल की पेराई क्षमता के अनुसार पेराई सत्र 2006-07 समाप्त होने से पहले गन्ना क्षेत्र का पुनः निर्धारण किये जाने,
9. जनपद हरिद्वार में गंगा केनाल की सभी सिंचाई इकाईयों को उत्तराखण्ड राज्य द्वारा तुरन्त अपने नियंत्रण में लिये जाने,
10. दीक्षित आयोग को तुरन्त भंग कर स्थाई राजधानी की घोषणा किये जाने,
11. राज्य के बेरोजगारों को स्थानीय कारखानों और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों में 70 प्रतिशत नौकरियाँ दिये जाने,
12. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत मंगलौर में राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने तथा
13. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत मंगलौर में फायर स्टेशन की स्थापना किये जाने के संबंध में।"

3. श्री नारायण पाल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत सितारगंज शक्तिफार्म एवं नानकमत्ता में डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने,

2. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत बंगाली विस्थापितों को अनुसूचित जाति की परिधि में शामिल किये जाने,
3. प्रदेश के तराई-भाबर क्षेत्र में स्थाई निवास एवं जाति प्रमाण-पत्रों को जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किये जाने,
4. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत सितारगंज में "सिड़कुल" औद्यौगिक आस्थान (एरिया) का विकास एल्डिको कम्पनी के माध्यम से कराये जाने के प्रकरण की जांच कराये जाने,
5. प्रदेश के तराई क्षेत्र में वर्ग चार की भूमि का मालिकाना हक दिये जाने पर नजराना कम करने की अनुशंसा किये जाने,
6. राज्य के प्रत्येक ब्लाक में रोजगार परक शिक्षा केन्द्र खोलने,
7. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत शक्तिफार्म क्षेत्र में बीड़ी बनाने व रजाई बनाने वाले मजदूरों को शासन की नीति के हिसाब से मजदूरी प्रदान कराये जाने,
8. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत सितारगंज ब्लाक में सरकारी राशन (कोटे) की दुकानों पर शासन की नीति के अनुरूप राशन, मिट्टीतेल व अन्य सामग्री का पर्याप्त वितरण कराने,
9. उत्तराखण्ड राज्य के शिक्षित बेरोजगारों को स्थानीय उद्योगों में 70% आरक्षण सुनिश्चित किये जाने,
10. जनपद ऊधमसिंह नगर के शक्तिफार्म क्षेत्र में कटना नदी पर एवं नानकमत्ता से ग्राम ऐचताविही की ओर 100 मीटर स्पान पुल तथा ग्राम गुरूनानक नगरी-गोढ़ा में पुल बनाये जाने,
11. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत सितारगंज ब्लाक में नदी, नाले डाम क्षेत्र किनारे बसे दलित, रायसिख, पिछड़े व अन्य वर्ग के लोगों को पट्टा व जमीन का मालिकाना हक दिलाये जाने,
12. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत सितारगंज में पॉलिटैक्निक, आई.टी.आई. एवं सेवायोजन कार्यालय की स्थापना किये जाने,
13. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत काशीपुर-बाजपुर को मिलाकर एक नया जिला बनाये जाने तथा
14. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत खटीमा को नया जिला बनाये जाने के संबंध में।"